Frequently Asked Questions & Answers

प्रश्न 1) मैने नगर विकास प्रन्यास द्वारा जारी आवासीय / व्यवसायिक भूखंड का क्रय किया
प्रश्न है, वह नगर विकास प्रन्यास के रिकॉर्ड में मेरे नाम किस प्रकार दर्ज (नामान्तरण)
हो सकता है ?

उत्तर :- इस हेतु सर्वप्रथम आपको SSOID पर login कर अपने भूखंड की यूनिक प्रोपर्टी आईडी जनरेट करने के लिए आवेदन करना होगा | प्रोपर्टी आईडी जनरेट होने के पश्चात् नामांतरण के लिए आवेदन कर, ऑनलाइन ही राशि जमा कर e-sign द्वारा जारी नामांतरण पत्र प्राप्त कर सकते है |

प्रश्न 2) मैं मेरी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन कराकर ले-आउट प्लान अनुमोदित कराना चाहता हूँ | आवेदन कैसे करूँ ?

उत्तर :- इस हेतु आप नगर विकास प्रन्यास की वेबसाईट पर login कर ऑनलाइन 90- A के लिए आवेदन कर सकते है | आवेदन करने की एवं आवश्यक दस्तावजों की पूरी जानकारी न्यास की वेबसाईट पर उपलब्ध है |

प्रश्न 3) ट्री- गार्ड लेने के संबंध में क्या करें ?

उत्तर :- नगर विकास प्रन्यास, द्वारा व्यक्ति विशेष को ट्री- गार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाते है |

प्रश्न 4) अतिक्रमण के बारे में शिकायत कहा करे ?

उत्तर :- नगर विकास प्रन्यास के क्षेत्राधिकार में हो रहे अतिक्रमण के बारे में आप न्यास के नागरिक सेवा केंद्र अथवा cm help line पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं |

प्रश्न 5) सामुदायिक केंद्र का आरक्षण कैसे करें ?

उत्तर :- नगर विकास प्रन्यास के कुल नो सामुदायिक केंद्र है जिनकी बुकिंग नगर विकास प्रन्यास की वेबसाईट पर ऑनलाइन कराई जा सकती है एवं उसके Rent/ Availbality की सूचना भी वेबसाईट पर उपलब्ध हैं |

प्रश्न 6) नगर विकास प्रन्यास द्वारा आवंटित भूखंड पर निर्माण कराना चाहता हूँ | परमिशन के लिए क्या करूँ ?

उत्तर :- इस हेतु आप नगर विकास प्रन्यास की वेबसाईट पर login कर ऑनलाइन भूखंड निर्माण के लिए आवेदन कर सकते है | आवेदन करने की एवं आवश्यक दस्तावजों की पूरी जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध है |

प्रश्न 7) उपविभाजन/ पुनर्गठन के लिए आवेदन कैसे करूँ ?

उत्तर :- इस हेतु आप नगर विकास प्रन्यास की वेबसाईट पर login कर ऑनलाइन उपविभाजन/ पुनर्गठन के लिए आवेदन कर सकते है | आवेदन करने की एवं आवश्यक दस्तावजों की पूरी जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध है |

प्रश्न 8) दस्तावेज/मानचित्र की प्रति प्राप्त कैसे करें ?

उत्तर :- नगर विकास प्रन्यास की रिकॉर्ड शाखा से सम्बंधित दस्तावेज/मानचित्र की प्रति के लिए नगर विकास प्रन्यास के नागरिक सेवा केंद्र पर निर्धारित प्रारूप में सूचना भर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं |

प्रश्न 9) लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए क्या करें ?

उत्तर :- इस हेतु आप नगर विकास प्रन्यास की वेबसाईट पर login कर अपने भूखंड की यूनिक प्रोपर्टीआईडी जनरेट करने के लिए आवेदन करना होगा | प्रोपर्टी आईडी जनरेट होने के पश्चात् लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर, ऑनलाइन ही राशि जमा कर e-sign द्वारा जारी नामांतरण पत्र प्राप्त कर सकते है |

प्रश्न 10) रोड कटिंग की अनुमति का आवेदन कैसे करें ?

उत्तर :- रोड कटिंग की अनुमति का आवेदन आवेदक द्वारा न्यास में उपस्थित होकर किया जा सकता हैं |